केन्द्रीय सूचना आयोग

बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,

नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2019/50175/CR-1 **दिनांक : 26.03.2018**

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करना ।

महोदय,

कृपया अपने RTI आवेदन जो कि इस कमीशन में पंजीकरण संख्या CICOM/R/2019/50175 दिनांक 09.03.2019 के तहत पंजीक्रत हुआ एंव अधोहस्ताक्षरी को श्री जीवन चंद्र, कंसलटेंट (MR)/CPIO से पत्र संख्या 1/1/2018/CIC-MR दिनांक 25.03.2019 के तहत आपको बिंदु संख्या 1 & 2 पर वांछित जानकारी देने हेतू अग्रसित किया गया का संदर्भ ग्रहण करें । बिन्दुवार सूचना प्रकार है:-

1 & 2 वर्णित मामले में शमीम टेकमाइड़ पर पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई एंव इस से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज exist नहीं करता ।

हालॉकि आपने कथित पेनल्टी ने लगाने के कारण से सम्बंधित कोई भी सूचना नहीं चाही है तथापि समग्र दृष्टिकोण एंव स्थिति को स्पस्ट करने के लिए यह जिक्र करना आवश्यक है कि पेनल्टी क्यों नहीं लगाई गई ।

जिस आदेश संख्या CIC/CICOM/C/2017/155613/SD दिनांक 07.08.2018 का जिक्र आपने किया है, की कथित कम्पलेंट का अवलोकन करने पर प्रथम द्रष्टाया यह कंप्लेंट ही जान पड़ती है जिसमे RTI आवेदन भी है अतः केन्द्रीय रजिस्ट्री में नियुक्त के कर्मचारियों ने जो इसे कम्पलेंट के तौर पर पंजीक्रत किया, वह सही कदम प्रतीत होता है । शायद यही वजह रही होगी कि माननीय सूचना आयुक्त श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा जी ने अपने उपरोक्त फ़ैसले में अपने आदेश की प्रथम वाक्य में ही लिखा की "In light of the submission of the complainant and facts on record, Commission observes that the Centrl Registry of CIC inadvertently registered this case under section 18 of RTI ACT..."

माननीय सूचना आयुक्त ने अपने उपरोक्त आदेश में आउटसोर्स विक्रेता या उसके कर्मचारियों पर पेनल्टी लगाये जाने की किसी तरह की बात नहीं की है ।

जब अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त फ़ैसला प्राप्त हुआ तो अधोहस्ताक्षरी ने उस कथित कम्पलेंट को लिंक करवाया उस फाइल (संख्या CIC/RM/C/2014/000017) से जिसके फ़ैसले के review न होने पर वह कम्पलेंट था (जिस कि मंजूरी भी प्रदान कर दी थी माननीय DR जो कि माननीय सूचना आयुक्त (BJ) के पास नियुक्त है) बल्कि उस कथित कम्पलेंट पर वर्णित आवेदन को भी माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के DR को भेज दिया ताकि उस कथित कम्पलेंट में वर्णित परेशानियों के हल हेतू प्रयास हो सके । उपरोक्त करने के पश्चात एक पत्र दिनांक 23.08.2018 उस complainant को भेजा ।

उस complainant ने 06.09.2018 को, अन्य दस्तावेजों के अलावा माननीय सूचना आयुक्त श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा जी के आदेश एंव अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 23.08.2018 का जिक्र करते हुए मुद्दे को तीन इच्छित माननीय सूचना आयुक्तों की खंडपीठ के सामने रखने की प्रार्थना की जिसे कि फाइल पर लाया गया । माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से माननीय पंजीयक ने दिनांक 19.09.2018 को complainant को जवाब भी दे दिया कि इस प्रार्थना पर कोई भी action नहीं लिया जा सकता । Complianant द्वारा पुनः मामले को कमीशन में भेजना दर्शाता है कि उसकी वास्तव में चाहत थी कि उस कि कथित कम्पलेंट पर निर्णय हो । ऐसा तभी हो सकता है जबकि उस की पीटीशन पंजीक्रत हो । इस पीटीशन का जैसा कि पहले वर्णित किया है कि वह प्रथम द्रष्टया कम्पलेंट ही प्रतीक होती है । अतः जिसने इसे पंजीक्रत किया उसके स्थान पर अगर और भी कोई दूसरा कर्मचारी होता तो वह भी ऐसा ही करता । इन हालात में inadvertent mistake को Malafide intention या लापरवाही से लिया गया कार्य नहीं माना जा सकता । अतः आउटसोर्स वेंडर पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई ।

चूँकि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज तृतीय पार्टी से सम्बंधित है जिनका खुलासा करना Larger public interest में प्रतीक होता नहीं जान पडता अत: RTI Act, 2005 के section 8 (1) (j) के तहत इनकी प्रति प्रदान करने में अधोहस्ताक्षरी असमर्थ है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- **श्री राकेश कुमार सिंह,अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,केन्द्रिय सूचना आयोग**, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिवप- /सी पी आई ओ
केन्द्रीय रजिस्टरी –1

प्रतिलिपि: केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ,केन्द्रीय सूचना आयोग ,नई दिल्ली ।

26/03/19

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिवप- /सी पी आई ओ
केन्द्रीय रजिस्टरी –1

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
26 MAR 2019
D. No.....
Initials.....